न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :—सुरेश राव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :—01 / 2024
जीसीएमएस नं:—2024 / 18

कमला देवी पत्नी औमप्रकाश जाति बिश्नोई निवासी जी 115 वार्ड नं.—1 नई सिविल लाईन्स ऐरिया हनुमागढ़ जंक्शन जरिए मुखत्यार खास एवं पुत्र प्रदीप कुमार बिश्नोई पुत्र औमप्रकाश जाति बिश्नोई निवासी जी 116, वार्ड नं.—1, नई सिविल लाईन्स ऐरिया हनुमागढ़ जक्शन जिला हनुमागढ़ (राज़.)

—— प्रार्थीया

बनाम्

1. कौशल्यादेवी पुत्री पारखीराम हिस्सा पूर्ण जाति चौधरी सा. देह गैर खातेदर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजंस्व) अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

—— अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र अर्न्तगत धारा—251 'क' राज.काश्त अधिनियम

उपस्थित—

1. श्री बलदेव सैन प्रार्थीया की ओर से
2. एक पक्षीय कार्यवाही अप्रार्थी सं.—1 की ओर से
3. राज पैरोकार अप्रार्थी सं.—2 की ओर से

—:: निर्णय ::— दिनांक :— 30/04/26

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि चक 25 ए बी का मुरब्बा नं.—29 पत्थर नं.—334 / 447 का किला नं.—25 में एक बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवाना चाहती है। जिसे स्वीकृत किये जाने पर यह रास्ता आवेदक के मुरब्बा नं.—22 प. नं.—116 / 57 के किला नं.—15 के मध्य से रास्ता आम चक 25 ए बी मु. नं.—30, प. नं.—333 / 447 किला नं.—21 / 2 पर खुलता है। जो रास्ता मौका पर चालू एंव दर्ज रिकार्ड है चाहा गया रास्ता स्वीकृत होने से आवेदक अपनी खातेदारी कृषि भूमि में रास्ता में प्रवेश कर सकेगा तथा जो रास्ता रास्ताआम से जुड़ जाएगा जिससे आवेदक अपनी कृषि भूमि में आसानी से आवागमन कर सकेगी क्योंकि आवेदक को अपनी भूमि में आने—जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है बल्कि उक्त आवेदित रास्ता के स्थान पर वर्तमान में वैकल्पिक रास्ता बना रखा है जो दर्ज रिकार्ड नहीं है। जिस कारण आवेदक को अपनी भूमि में आने जाने पर काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। आवेदक द्वारा तीन रोज पूर्व तहसीलदार अनूपगढ़ के समक्ष उपस्थित होकर उन्हें गैर खातेदारी भूमि प.नं.—334 / 447 चक 25 ए बी के किला नं.—25 में रास्ता स्वीकृत करने को कहा तो उनके द्वारा सक्षम न्यायालय से आदेश प्राप्त करने को कहा इसलिए यह आवेदन पेश किया जा रहा है। आवेदक ने अपनी ओर से अपने हकीकी पुत्र प्रदीप कुमार बिश्नोई को अपना मुखत्यारखास नियुक्त कर अधिकृत कर रखा है जिसकी मुखत्यारनामा की प्रति संलग्न है इसलिए मुखत्यारखास की ओर से यह आवेदन पत्र प्रस्तुत है। तहसीलदार राजस्व अनूपगढ़ को भूमिधारी एंव राज्य सरकार का प्रतिनिधि होने का कारण आवश्यक पक्षकार मुकदमा बनाया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.04.30 17:03:18 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

अतः आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि आवेदक की कृषि भूमि वाके चक 25ए (ए) तहसील अनूपगढ़ का मु.नं.–22, पंनं.–116/57 के किला नं.–1 ता 25 की कुल 6.35 हैक्टर कमाण्ड खातेंदारी कृषि भूमि में आवागमन के लिए चक 25ए बी का मु.नं.–29 पं.सं.–334/447 के किला नं.–25 में से 1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाकर रास्ता का रिकार्ड में अंकन करने के आदेश प्रदान किये जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी सं.–1 को जरिए अखबार से प्रकाशन करवाया गया। अप्रार्थी सं.–1 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

अप्रार्थी सं.–2 तहसीलदार अनूपगढ़ से रिपोर्ट तलब की गई। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार के अनुसार प्रार्थीया का खातेदारी रकबा पत्थर नं.–116/57 का किला नं.–1 ता 25 चक 25 ए (ए) में स्थित है प्रार्थीया के खेत तक आने जाने हेतु कोई स्वीकृत शुदा रास्ता नही है उक्त पत्थर नं.–116/57 के निकटतम स्वीकृत रास्ता चक 25 ए (बी) पत्थर नं.–333/447 का किला नं.–21 मे 0.025 हैक्टर (1,10,11,20,21 में दो–दो बिस्वा) स्वीकृत रास्ता है यह रास्ता प्रार्थी के खेत से लगभग 35 मीटर(115फुट) दुरी पर है। प्रार्थी के खेत तक आने जाने हेतु प्रार्थी के खेत के साथ लगती गैरखातेदारी भूमि पत्थर सं.–334/447 के किला नं.–25 में से रास्ता दिया जाने पर यह पूर्व स्वीकृत शुदा रास्ता से मिल जायेगा। अतः चक 20 ए(बी) के पत्थर सं.–334/447 के किला नं.–25 में से रास्ता स्वीकृत करना उचित है यह रास्ता ही निकटम सुलभ रास्ते हेतु चाहा गया उक्त रक्बा पत्थर सं.–335/447, 334/447 कुल रबका 6.224 हैक्टर में से किला नं. –25 में 0.012 हैक्टर है। जो कि कौशल्या देवी पुत्री पारखीराम जाति चौधरी सा. देह. गैर खातेदार (पौ.बा.आ.) दर्ज है।

तदुपरांत बहस अंतिम सुनी जाकर मेरे द्वारा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत तहसीलदार, अनूपगढ़ रिपोर्ट एवं नक्शा से स्पष्ट है कि प्रार्थीया को अपने खेत में जाने के लिए चक 25 ए (बी) का मु.नं.–29 पं.सं.–334/447 के किला नं.–25 में से 1 बिस्वा स्वीकृत रास्ता खेत हेतु मांग की है। जो प्रार्थीया ने खेत में आने जाने हेतु गैर खातेदारी कृषि भूमि में से रास्ता चाहा गया है जबकि कानूनन खातेदार कृषक की खातेदारी कृषि भूमि में से रास्ता स्वीकृत किया जा सकता है धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत गैर खातेदार कृषक की गैर खातेदारी कृषि भूमि में से रास्ता प्रदत्त नहीं किया जा सकता है। अतएव प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र धारा 251ए राजसथान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार योग्य नहीं है।

–:: आदेश ::–

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अस्वीकार किया किया जाता है।

निर्णय आज **दिनांक 30/04/26** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.04.30 17:03:18 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश कुमार राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़